13/10/22 पत्रावली राष्ट्रीय लो० अदालत में पेश की
वकील प्रार्थी को उपस्थित। [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] लोक [illegible] सा० [illegible]। [illegible]
पत्रावली [illegible] हेतु कार्यवाही [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 29/2017
रज्जू दिनांक :

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

छोट्या पुत्र गैन्दीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाडा बाड तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 13/8/22

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र दिनांक 13–08–2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 158/78 रकबा 05 बीघा वाकै ग्राम बाडा बाड पटवार हल्का बिलौना खुर्द भू अभि.नि.क्षेत्र मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त आराजी खसरा नं0 158/78 के राजस्व रिकार्ड मे छोट्या पुत्र गोपीलाल के नाम से बतौर सहखातेदार नाम दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गैन्दा लाल का नाम सहबन से गोपीलाल दर्ज हो गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड) में प्रार्थी के पिता का नाम गैन्दा गुर्जर निवासी बाडा अंकित है जो बिलकुल सही एवं सत्य है। आम बोलचाल में प्रार्थी के पिता को गोपी कहकर बुलाते है गोपीलाल एवं गैन्दा लाल एक ही व्यक्ति है तथा अन्य सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीलाल ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सहबन से गोपी लाल दर्ज होने से प्रार्थी को के.सी.सी. लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। आराजी खसरा नं0 158/78 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि वाकै ग्राम बाडा बाड के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में प्रार्थी के पिता का नाम गोपीलाल को विलोपित कर उसके स्थान पर गैन्दा लाल किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरूस्त इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई एंव प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे गवाहान कजोड पुत्र हरचन्दा, छोटूलाल पुत्र गैन्दीलाल, रामस्वरूप पुत्र कल्याणमल, गोविन्दराम पुत्र हरचन्दा गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये तथा तहसीलदार रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 158/78 रकबा 05 बीघा भूमि वाकै ग्राम बाडा बाड पटवार हल्का बिलौना खुर्द भू.अभि.नि. क्षेत्र मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम गोपी लाल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर गैन्दी लाल का नाम अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 158/78 रकबा 05 बीघा भूमि वाकै ग्राम बाडा बाड पटवार हल्का बिलौना खुर्द भू.अभि.नि. क्षेत्र मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम गोपी लाल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर गैन्दी लाल का नाम अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner